

चाईल्ड बजट वर्ष 2025-26

विभाग- महिला एवं बाल विकास विभाग

विभागाध्यक्ष- संचालक, महिला एवं बाल विकास

राशि हजार ₹ में

अ. बाल विशिष्ट योजना (योजनाएं जिसमें बच्चों के लिए प्रावधान 100 प्रतिशत है)

क्र.	योजना क्रमांक	योजना का नाम	योजना का उद्देश्य	बजट प्रावधान 2024-25	बजट प्रावधान 2025-26	अनुमानित लाभार्थी 0 से 18 वर्ष
1	2	3	4	5	6	7
1.	8957	नोनी सुरक्षा योजना	प्रदेश में बालिकाओं की सुरक्षा एवं संरक्षण तथा बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से योजना संचालित है। योजनांतर्गत प्रति बालिका 05 वर्ष तक लगातार 5000 के मान से राशि विनियोजित किया जाता है। बालिका की उम्र 18 वर्ष पूर्ण होने पर परिपक्वता राशि 1,00,000 रु. देय होती है।	250000	250000	लाभान्वित बच्चों की संख्या-10000
2.	7361	सक्षम आंगनबाड़ी केन्द्र एवं पोषण 2.0-किशोरी बालिकाओं के लिए योजना	11 से 14 वर्ष आयु की शाला त्यागी किशोरी बालिकाओं को पूरक पोषाहार उपलब्ध कराना तथा प्रशिक्षण आदि ।	500000	500000	लाभान्वित बच्चों की संख्या-250000
3.	7680	आंगनबाड़ी केन्द्रों का उन्नयन तथा ईसीसीई घटक	आंगनबाड़ी केन्द्रों में ईसीसीई पाठ्यक्रम को लागू करना तथा संसाधन युक्त बनाना	350000	369000	लाभान्वित बच्चों की संख्या-1143857
4.	6651	पालना	कामकाजी महिलाओं के 06 माह से 06 वर्ष तक के बच्चों को दिवस देखभाल सुविधा उपलब्ध कराना	100000	100000	लाभान्वित बच्चों की संख्या-15000
5.	9949	मिशन वात्सल्य	किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 एवं नियम 2016 के क्रियान्वयन हेतु संचालित एकीकृत बाल संरक्षण योजना के संचालन हेतु।	1000000	960670	-
6.	7303	राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग	राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग को अनुदान प्रदाय किया जाना।	31000	31000	-

चाईलड बजट वर्ष 2025-26

विभाग- महिला एवं बाल विकास विभाग

विभागाध्यक्ष- संचालक, महिला एवं बाल विकास

राशि हजार ₹ में

अ. बाल विशिष्ट योजना (योजनाएं जिसमें बच्चों के लिए प्रावधान 100 प्रतिशत है)

क्र.	योजना क्रमांक	योजना का नाम	योजना का उद्देश्य	बजट प्रावधान 2024-25	बजट प्रावधान 2025-26	अनुमानित लाभार्थी 0 से 18 वर्ष
1	2	3	4	5	6	7
7.	7093	राष्ट्रीय शौर्य पुरस्कार से सम्मानित बालक /बालिकाओं को छात्रवृत्ति	यह छात्रवृत्ति राष्ट्रीय शौर्य पुरस्कार/राज्य वीरता पुरस्कार से सम्मानित बालक/बालिका को अध्ययन के क्षेत्र में प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय शौर्य पुरस्कार से सम्मानित बालक/बालिका छात्रवृत्ति नियम, 2003 के तहत प्रदान की जाती है। यह छात्रवृत्ति छत्तीसगढ़ राज्य बाल कल्याण परिषद के माध्यम से प्रदान की जाती है/ पुरस्कार प्राप्त बालक/बालिका को स्कूल शिक्षा (उच्चतर माध्यमिक स्तर) के दौरान 500/- प्रतिमाह तथा महाविद्यालय शिक्षा (स्नातक/स्नातकोत्तर)/शोधकार्य (पी.एच.डी.) के दौरान रुपये 1000/- प्रतिमाह की दर से छात्रवृत्ति दी जाती है। तकनीकी शिक्षा जैसे मेडिकल, इंजिनियरिंग/तकनीकी शिक्षा में स्नातक/स्नातकोत्तर अध्ययन के लिये भी 1500/- रुपये प्रतिमाह की दर से छात्रवृत्ति की पात्रता होती है। इस छात्रवृत्ति के लिए माता-पिता की आय का कोई बंधन नहीं होता है। यह छात्रवृत्ति बालक/बालिका को प्राप्त होने वाली अन्य मैरिट छात्रवृत्ति अथवा अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़ावर्ग के छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति के अतिरिक्त होती है।	1300	1300	-

चाईल्ड बजट वर्ष 2025-26

विभाग- महिला एवं बाल विकास विभाग

विभागाध्यक्ष- संचालक, महिला एवं बाल विकास

राशि हजार ₹ में

अ. बाल विशिष्ट योजना (योजनाएं जिसमें बच्चों के लिए प्रावधान 100 प्रतिशत है)

क्र.	योजना क्रमांक	योजना का नाम	योजना का उद्देश्य	बजट प्रावधान 2024-25	बजट प्रावधान 2025-26	अनुमानित लाभार्थी 0 से 18 वर्ष
1	2	3	4	5	6	7
8.	6642	बेटी बचाओ, बेटी बढ़ाओ	बच्चों के जन्म के समय लिंग चयन तथा विभेद समाप्त करने बालिकाओं की उत्तरजीविका, सुरक्षा तथा शिक्षा सुनिश्चित किया जायेगा।	50000	50003	-
9.	6696	मुख्यमंत्री बाल उदय योजना	मिशन वात्सल्य योजना अंतर्गत बाल देखरेख संस्थाओं में निवासरत बालकों के 18 वर्ष की आयु पूर्ण किये जाने पर बालकों को आवश्यक सहयोग देकर समाज में पुनर्स्थापित किये जाने हेतु आप्टर केयर कार्यक्रम 'मुख्यमंत्री बाल उदय योजना' के क्रियान्वयन हेतु।	14000	21010	-
10.	7031	चाईल्ड हेल्प लाईन 1098	मिशन वात्सल्य योजना अंतर्गत चाईल्ड हेल्पलाईन (1098) के संचालन हेतु।	100000	120329	-
11	7099	छत्तीसगढ़ राज्य बाल संरक्षण योजना	किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 की धारा 105 एवं नियम 2016 के नियम 83 अनुसार इस अधिनियम एवं नियमों के अधीन आने वाले बालकों के कल्याण और पुनर्वास के लिए सृजित किशोर न्याय निधि हेतु तथा किशोर न्याय अधिनियम अंतर्गत बाल देखरेख संस्थाओं, बालक कल्याण समिति एवं किशोर न्याय बोर्ड के भवनों के लिए लगने वाली आधिक्य राशि/सुधार/मरम्मत/अतिरिक्त निर्माण हेतु।	50000	95860	-